बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप(सुपौल)–02–45/2025– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

श्री प्रिंस राज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल के विरूद्ध अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना के पत्रांक–676 दिनांक–30.05.2025 द्वारा दर्ज विशेष निगरानी ईकाई, थाना कांड सं०–04/2025 दिनांक–15.04.2025 धारा–13(2) r/w 13(1) (b) r/w 12 P.C. Act 1988 यथा संशोधित, 2018 एवं 61(2)(a) BNS, 2023 के अनुसंधान के क्रम में पाये गये आरोप के आधार पर विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें दो अलग–अलग नाम एवं जन्मतिथि से मैट्रिक परीक्षा पास कर जालसाजी एवं कूटरचित प्रमाण–पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. यह कि उक्त आरोप पत्र को विभाग स्तर से पुनर्गठित करते हुए गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–1218(15)/रा0, दिनांक–14.07.2025 द्वारा श्री राज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री राज द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. यह कि सक्षम प्राधिकार द्वारा आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर श्री प्रिंस राज को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए विभागीय संकल्प सं0–1810(15)/रा0, दिनांक–06.10.2025 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के लिए मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा निर्धारित किया गया।

4. यह कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा दिनांक–20.12.2017 को 60–62वीं सम्मिलित संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका–3(ii) में यह अंकित है कि मूल प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

5. यह कि श्री प्रिंस राज द्वारा विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि श्री धर्मेन्द्र कुमार उनके सगे भाई थे जिनका निधन हो चुका है और वे दोनों अलग–अलग पृथक कानूनी पहचान वाले व्यक्ति है, के आलोक में विभागीय पत्रांक–1937(15)/रा0 दिनांक–17.11.2025 द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे हुई से संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र (मुखिया द्वारा निर्गत नहीं) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जो अप्राप्त रहा।

6. यह कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना के ज्ञापांक– 375/25 के0–1256 दिनांक–01.08.2025 द्वारा उक्त मामले में श्री राज की पहली माध्यमिक परीक्षा वर्ष–2004 को मान्यता देते हुए दूसरी माध्यमिक परीक्षा वर्ष–2006 (श्री प्रिंस राज, पिता–रघुनन्दन साह, रौल कोड–6206, क्रमांक–402 जन्म तिथि–15.02.1992) जो STSY High School, Manmohan से दी गयी थी, से संबंधित निर्गत अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र रद्द किये जाने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई।

7. यह कि उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–91(15)/रा0 दिनांक– 21.01.2026 जो अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को संबोधित है द्वारा श्री प्रिंस राज का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा वर्ष–2006 का अंक पत्र एवं प्रमाण–पत्र रद्द होने की स्थिति में चयनमुक्त करने के बिन्दु पर मंतव्य की मांग की गयी।

8. यह कि उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–4381/लो0से0आ0 दिनांक–02.02.2026 द्वारा "श्री राज के विरूद्ध निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए चयनमुक्त करने के बिन्दु पर विभाग स्वतंत्र है" का मंतव्य विभाग को प्राप्त हुआ।

9. यह कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में श्री प्रिंस राज द्वारा माध्यमिक परीक्षा वर्ष–2006 का अंक पत्र (क्रम सं0–0255316) एवं प्रमाण–पत्र (क्रम

सं0–06AC 0130696) दिया गया एवं सेवा में प्रवेश हेतु उम्र संबंधी अर्हता हेतु इसका उपयोग किया गया।

10. यह कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0–312(3)/रा0, दिनांक–29.08.2019 द्वारा श्री प्रिंस राज को परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से पे–मैट्रिक्स लेवल–7 (₹44,900–1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ नियुक्त किया गया। साथ ही, राजस्व अधिकारी, चनपटिया, पश्चिम चम्पारण के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसकी कंडिका–2(ii) में उल्लेखित है कि–"अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध अलग सूचना पाये जाने एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित नव नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं संबंधित के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।"

(i) विभागीय पत्रांक–428(3)/रा0 दिनांक–11.12.2019 के अनुसार श्री प्रिंस राज के द्वारा प्रवेशकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक–20.09.2019 से 01.10.2019 तक प्रशिक्षण में भाग लिया गया।

(ii) विभागीय अधिसूचना सं0–202(3)/रा0, दिनांक–24.07.2020 द्वारा श्री प्रिंस राज, राजस्व अधिकारी, चनपटिया, पश्चिम चम्पारण के पद से स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी अंचल अधिकारी, सुपौल सदर के पद पर पदस्थापित किया गया।

(iii) राजस्व पर्षद, बिहार केन्द्रीय परीक्षा समिति के विभागीय परीक्षा प्रमाण पत्र क्रम सं0–65202725580507948 दिनांक–13.03.2023 द्वारा श्री प्रिंस राज विभागीय परीक्षा के सभी विषयों में दिनांक–28.02.2023 से उत्तीर्ण है।

(iv) विभागीय आदेश ज्ञापांक–578(3)/रा0, दिनांक–19.10.2023 द्वारा श्री प्रिंस राज प्रभारी अंचल अधिकारी, सुपौल सदर को दिनांक–28.02.2023 की तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया गया।

(v) विभागीय अधिसूचना सं0–603(3)/रा0, दिनांक–31.10.2023 द्वारा श्री प्रिंस राज, प्रभारी अंचल अधिकारी, सुपौल सदर को वेतनमान (वेतन स्तर–9) में उत्क्रमित किया गया।

11. यह कि विभागीय अधिसूचना सं0–312(3)/रा0, दिनांक–29.08.2019 की कंडिका–2(ii), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के ज्ञापांक–375/25 के0 1256 दिनांक–01.08.2025 एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श के आधार पर विभाग का मत हुआ कि श्री प्रिंस राज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल निलंबन मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा सेवा में बने रहने का अपना अधिकार खो चुके है।

12. यह कि श्री प्रिंस राज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल निलंबन मुख्यालय–आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड **"सेवा मुक्त/सेवाच्यूत"** संबंधी संलेख विभागीय ज्ञापांक–134(15)/रा० दिनांक–11.02.2026 द्वारा मंत्रीपरिषद् की स्वीकृत हेतु भेजा गया। मंत्रीपरिषद् की दिनांक–20.02.2026 को सम्पन्न बैठक के मद सं०–09 के रूप में सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख में निहित प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13. यह कि उक्त स्वीकृति के आलोक में श्री प्रिंस राज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल को उनके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के 60–62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में दिये गये जाली एवं कूटरचित शैक्षणिक प्रमाण–पत्र को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ज्ञापांक–375/25 के0–1256 दिनांक–01.08.2025 के द्वारा रद्द होने के कारण विज्ञापन में निहित शर्तो के अधीन **मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में "सेवा मुक्त/सेवाच्युत"** किया जाता है।

श्री प्रिंस राज से संबंधित ब्यौरे निम्नवत् हैः—

1.	नाम	:— श्री प्रिंस राज
2.	पदनाम	:— तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय—आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा
3.	जन्म तिथि	:— 15.02.1992
4.	सेवानिवृति की तिथि	:— 29.02.2052
5.	स्थाई पता	:— ग्राम—झिक्की, पोस्ट—हिसार, जिला—मधुबनी, पिन—847230, राज्य—बिहार।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

निबंधित/ ई—मेल ✓

ज्ञापांक— 15/आरोप(सुपौल)—02—45/2025— 225 (15)/रा0, पटना—15, दिनांक—24.02.26

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा/अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष निगरानी ईकाई, पटना/समाहर्त्ता, सहरसा एवं सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा एवं सुपौल/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/श्री प्रिंस राज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, सुपौल सदर, सुपौल सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय—आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा (**पता—पिता—श्री रघुनन्दन साह, ग्राम—झिक्की, पोस्ट—हिसार, जिला—मधुबनी, पिन—847230, राज्य—बिहार**) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.02.26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।